

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

संविलियन हेतु शेष शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के वेतन भुगतान हेतु ₹ 471.89 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 4,71,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संविलियन हेतु शेष शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के वेतन भुगतान हेतु ₹ 93.90 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 93,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के संचालन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 20.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 एवं 5

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत कम्प्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों के लिए कम्प्यूटर सेट क्रय किये जाने हेतु राशि ₹ 1232.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 12,32,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।